

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा तहसील फुलियाकलां
प्रकरण संख्या - 114/2020
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

- 1 मदन पिता देवा धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 न्याली पत्नि गोपाल धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज. _____ (प्रार्थीगण)

- बनाम
1 मिटू पिता गोपाल धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 बद्री पिता छोटू धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 गोपाल पिता मोहन धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 कैलाश पिता नाना धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 रणजीत पिता रघुनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 रामस्वरूप पिता मोती धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 घीसा पिता जगनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 सोजी पिता जगनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 देवकरण पिता चतुर्भुज धाकड उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज. _____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 20.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 10.12.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 227 के आ.न. 2361/2478, 2363/2479, 2364, 2366/2480, किता 4 रकबा 1.04 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 14.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा दिनांक 20.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 227 के आ.न. 2361/2478, 2363/2479, 2364, 2366/2480, किता 4 रकबा 1.04 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बांसेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौंसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा